# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

**पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन**
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136


क्र. : 3393 /SEIAA/2022
दिनांक: 17/3/22

प्रति,

मेसर्स पेसेफीक इन्डस्ट्रीज़ लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री विनोद चौधरी
ग्राम छिल्पा, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

विषयः प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/MIN/248904/2021** - प्रकरण कमांक **6576/2019** – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पेसेफीक इन्डस्ट्रीज़ लि., अधिकृत व्यक्ति श्री विनोद चौधरी, ग्राम छिल्पा, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 7500 घनमीटर प्रति वर्ष एवं सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) 22500 घनमीटर, खसरा नं. 2610, रकबा 3.816 हेक्टेयर, ग्राम छिल्पा, तहसील व जिला अनुपपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

**प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

***प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–***

1. ***प्रकरण में SEIAA समिति की 643 वी बैठक दिनांक 06.10.2020 में लिये गये निर्णय अनुसार SEIAA पत्र क. 4561–62 दिनांक 29.10.2020 द्वारा ग्रेनाईट, उत्पादन क्षमता 7500 घन मीटर प्रतिवर्ष रकवा 3.816 हे. ग्राम छिल्पा, तहसील व जिला अनुपपुर (म.प्र.) हेतु पूर्व में पर्यावरण स्वीकृत पत्र जारी किया गया था।***
2. *SEIAA द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में 7500 प्रति घन मीटर (कुल उत्पादन क्षमता का 25 प्रतिशत) एवं शेष 75 प्रतिशत पत्थर वेस्ट जो कि पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अंकित नहीं था। अतः शेष 75 प्रतिशत पत्थर वेस्ट 22500 घनमीटर जोड़ने हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया गया।*
3. ***परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आनलाईन फार्म – 4 मे पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन कर पत्थर वेस्ट 22500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया है।***
4. *राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में* ***पत्थर*** *वेस्ट (Unsized Block) 22500 घनमीटर प्रतिवर्ष को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई है।*

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक /पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) को सम्मलित कर संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।*

***परियोजना प्रस्तावक*** *मेसर्स पेसेफीक इन्डस्ट्रीज़ लि., निवासी बेदला, जिला उदयपुर (राजस्थान) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 7500 घनमीटर प्रति वर्ष (सैलेबल वेस्ट*

*(Unsized Block) 22500 घनमीटर), खसरा नं. 2610, रकबा 3.816 हेक्टेयर, ग्राम छिल्पा, तहसील व जिला अनुपपुर (म.प्र.) की उपरोक्त पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 942–43 दिनांक 02.06.2018 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता को यथावत रखते हुये उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित पर्यावरीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।*

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 942–43 दिनांक 02.06.2018 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता को यथावत रखते हुये सेलबल वेस्ट 22500 घनमीटर प्रतिवर्ष को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 3374 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 17/3/22
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. श्री इंदर सिंह आत्मज श्री अमर सिहं, निवासी – ग्राम तुलतारिया, तहसील व जिला – राजगढ़ (म.प्र.)
10. खनिज अधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी